रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 1994/भाद्र 4, 1916
No.424] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 1994/BHADRA 4, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1994

सं. 43/94–एन.टी. सीमाशुल्क

का.आ. 619(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उपधारा (2) और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/94–एन.टी. सीमाशुल्क का.आ. 559(अ) तारीख 27 जुलाई, 1994 को अधिक्रांत करते हुए :—

(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन स्टाम्प शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए यह विहित करती है,

(ख) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए जहां तक उनका संबंध आयातित माल से है, यह अवधारित करती है है कि नीचे अनुसूची (i) और अनुसूची (ii) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेंसी के भारतीय करेंसी में या भारतीय करेंसी के विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिए विनिमय दर 1 सितम्बर, 1994 से वह दर होगी जो उसके स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उसके सामने वर्णित है :—

अनुसूची—I

क्रम सं.	विदेशी करेंसी	भारतीय रुपये के समतुल्य की विदेशी करेंसी की एक इकाई की विनिमय दर
1.	आस्ट्रिया के शिलिंग	2.91
2.	आस्ट्रेलिया के डालर	23.44
3.	कनाडा के डालर	22.98
4.	डेनमार्क के क्रोनर	5.15
5.	डुत्से मार्क	20.38
6.	डच गिल्डर	18.15
7.	फ्रांस के फ्रैंक	5.95
8.	हांगकांग के डालर	4.08
9.	मलेशिया के डालर	12.37
10.	नार्वे के क्रोनर	4.64
11.	पोंड स्टर्लिंग	48.95
12.	स्वीडन के क्रोनर	4.13
13.	स्विटजरलैण्ड के फ्रैंक	24.18
14.	संयुक्त राज्य अमरीका के डालर	31.55
15.	सिंगापुर के डालर	21.03

अनुसूची—II

क्रम सं.	विदेशी करेंसी	भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाइयों की विनिमय दर
1.	बेल्जियम के फ्रैंक	99.00
2.	इतालवी लीरा	2.01
3.	जापानी येन	31.74

[फा. सं : 468/7/94—सी.शुल्क—5]
अनिल बेदी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Board of Excise & Customs

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1994

No. 43/94—NT-CUSTOMS

S.O. 619(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and sub-Clasue (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 35/94-NT-Customs S.O. 559(E) dated the 27th July, 1994, the Central Government hereby—

(a) prescribes for the purpose of calculating Stamp duty under the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899),

(b) determines for the purposes of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) insofar as these relate to imported goods.

that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of schedule I and schedule II appended hereto into Indian Currency or vice-versa shall, with effect from the Ist day of Sept., 1994, be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof.

SCHEDULE—I

S. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees
1	2	3
1.	Austrian Schilling	2.91
2.	Australian Dollar	23.44
3.	Canadian Dollar	22.98
4.	Danish Kroner	5.15
5.	Deutsche Mark	20.38
6.	Dutch Guilder	18.15
7.	French Franc	5.95
8.	Hong Kong Dollar	4.08
9.	Malaysian Dollar	12.37
10.	Norwegian Kroner	4.64
11.	Pound Sterling	48.95
12.	Swedish Kroner	4.13
13.	Swiss Franc	24.18
14.	U.S. Dollar	31.55
15.	Singapore Dollar	21.03

SCHEDULE–II

S. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees
1	2	3
1.	Belgian Francs	99.00
2.	Italian lire	2.01
3.	Japanese Yen	31.74

[F. No. 468/7/94—Cus.-V]

ANIL S. BEDI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994